प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख, जो मद संख्या–11 में प्रमाण पत्र 1 (क) पर उपलब्ध हैं, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(स)* ऐसे छात्र, जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उ0प्र0 से उत्तीर्ण न की हो, को काउंसिलिंग/प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''मूल निवास प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना आवश्यक होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख, जो मद संख्या–11 में प्रमाण पत्र 1 (ख) पर उपलब्ध हैं, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मूल निवासी की परिभाषा खण्ड–11 में प्रमाण पत्र –1 (ख) के प्रारूप में दी गयी है।

*** उपरोक्त बिन्दु 'ब' तथा 'स' से आच्छादित छात्रों के निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में शासन स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है, शासन स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होते ही इस सम्बन्ध में यथासमय दैनिक समाचार पत्रों तथा वेबसाईट www.updgme.in एवं www.cpmtup2016.org पर गाईडलाइन्स जारी की जाएंगी।**

(ख) आयु सीमा

प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी का जन्म 31 दिसंबर 1999 को या उसके पूर्व हुआ हो। आयु के सम्बन्ध में कोई शिथिलता नहीं बरती जायेगी।

(ग) शैक्षिक अर्हता

(i) इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलॉजी/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी सी0पी0एम0टी0 2016 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगें। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उन अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान कर दी जायेगी जो अर्हकारी परीक्षा 2016 में सम्मिलित हो रहे हों परन्तु सी0पी0एम0टी0 में सफल होने पर सम्बन्धित पाठ्यक्रम आवंटन/प्रवेश तभी अनुमान्य किया जायेगा जब अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा पास करने का प्रमाणपत्र काउन्सिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में आवंटन नहीं किया जायेगा।

- शासनादेश संख्या – 2991/71–2–12–55/2012 दिनांक 18.09.2012 में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी/छात्र जो सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हो जाते हैं उन्हें आगामी सी0पी0एम0टी0 परीक्षा में बैठने/काउन्सिलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाये तथा यदि उन्हें काउन्सिलिंग के उपरान्त वांछित विधा की सीट आवंटित हो जाती है, तो वह पूर्व आवंटित पाठ्यक्रम से त्यागपत्र देने के उपरान्त नवीन विधा के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्र होगें।
- एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन 1997 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित अर्हताएं लागू होगी। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेज़ी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा डेन्टल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हताएं मान्य होगी जो निम्नवत हैं:–

  (a) The Higher Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 higher secondary examination after a period of 12 years study, the last two years of study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-Technology and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research & Training after the introduction of the 10+2+3 years

SARKARIRESULT.COM

educational structure as recommended by the National Committee on Education. Note: Where the course content is not as prescribed for 10+2 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre-professional training before admission to the Medical/Dental/Ayurvedic/ Homoeo-pathic/Unani College.

Or

(b) The intermediate examination in science of an Indian University, Board or other recognized examination body with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology which shall include a practical test in these subjects and also English as a compulsory subject.

Or

(c) The pre-professional/pre-medical examination with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology, after passing either the higher secondary school examination or the pre-university of an equivalent examination shall include a practical test is Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology and also English as a compulsory subject:

Or

(d) The first year of the three years degree course of a recognized university, with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology including a practical test in these subjects provided the examination is a "University Examination" and candidate has passed 10+2 with English at a level not less than a core course.

Or

(e) B.Sc examination of an Indian University, provided that he/she has passed the B.Sc examination with not less than two of the following subjects in Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Bio- Technology and further that he/she has passed the earlier qualifying examination with the following subjects - Physics, Chemistry, Biology/Bio-Technology and English.

Or

(f) Any other examination which, in scope and standard is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian University/Board taking Physics, Chemistry and Biology/Bio- Technology including a practical test in each of these subjects and English.

(ii) सामान्य अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में औसत 50 प्रतिशत तथा सी0पी0एम0टी0 प्रवेश परीक्षा में भी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iii) अनुसूचित–जाति, अनुसूचित–जनजाति एवं अन्य–पिछड़ा–वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त दोनों परीक्षाओं में 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

SARKARIRESULT.COM

(iv) संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से विज्ञान विषय सहित मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

(v) यूनानी कालेजों में बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सी0पी0एम0टी0 2016 में सम्मिलित होने के लिए इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षा–10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। (काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी के उर्दू ज्ञान की भी पुष्टि की जायेगी)।

(vi) बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सी0पी0एम0टी0 में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक 35 प्रतिशत होगा।

(vii) **आवेदनकर्ता ''अभ्यर्थी–घोषणा–पत्र'' (Candidate's Declaration Form) पर विशेष ध्यान दें।** ऑन–लाइन आवेदन–पत्र का प्रिन्ट लेने पर आवेदन–पत्र के साथ द्वितीय पृष्ठ के रूप में ''अभ्यर्थी–घोषणा–पत्र'' स्वतः प्रिन्ट हो जायेगा। इसे पूर्णरूप से भरकर अपनी फोटो को चिपका कर सत्यापित करें और अपने मूल हस्ताक्षर, दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप तथा अभिभावक के हस्ताक्षर करवाकर इसे सुरक्षित रख लें। घोषणा–पत्र काउन्सिलिंग के समय मूलरूप में लाना अनिवार्य है। काउन्सिलिंग के समय घोषणा–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर आवेदनकर्ता के अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. आरक्षण (Reservation)

(अ) सी.पी.एम.टी.–2016 की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक मेडिकल कालेज में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत 'उर्द्धवाधर आरक्षण' (Vertical Reservation) प्रदान किया जायेगा :

1. अनुसूचित–जाति (S.C.) के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2. अनुसूचित–जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3. अन्य–पिछड़ा–वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

अन्य–पिछड़ा–वर्ग (O.B.C.) का तात्पर्य विधायी अनुभाग की अधिसूचना सं. 1576/17–वि. 1–1(क)11–2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1/2002 की ''अनुसूची–एक'' में इंगित वर्गों से है। पिछडे वर्ग के वह अभ्यर्थी जो उक्त अधिनियम 1994 की 'अनुसूची–दो' अधिसूचना संख्या 22/16/12–का 2/1995 टी.सी. दिनांक 8–12–1995 द्वारा यथासंशोधित से आच्छादित न हो उनके ही पुत्र/पुत्री को उक्त आरक्षण अनुमन्य होगा एवं विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1576/सत्रह–वि–1(क)–11/2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ.प्र. अधिनियम संख्या–1 सन 2002 भी प्रभावी होगा।

सामान्य–वर्ग (U.R.)- के अभ्यर्थियों के साथ यदि उल्लिखित कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा, जैसा कि इस संबंध में शासनादेश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। अतः उपरोक्त प्रस्तर–अ में उल्लिखत वर्ग की सीटों को भरने से पहले योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत सामान्य सीटों को भरा जायेगा।

(ब) सी.पी.एम.टी.– 2016 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत **'क्षैतिज आरक्षण' (Horizontal Reservation)** प्रदान किया जायेगा तथा सभी पाठ्यक्रमों में भरी जाने वाली प्रत्येक कालेज की कुल सीटों पर शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेंनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों) तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों,

SARKARIRESULT.COM